



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ (छ.ग.)

Email – rlcraigarh@gmail.com, website splc.cgstate.gov.in

विस्तृत प्रारूप



//रुचि की अभिव्यक्ति//

पत्र क्र./DPLCRGH/EOI/2022-23/ 110

रायगढ़, दिनांक 12.08.22

आवेदन की अंतिम तिथि – 13.09.2022 समय सायं 05.00 बजे तक
आवेदन पत्र खोलने की तिथि – 14.09.2022 समय सायं 03.00 बजे से

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना तथा अन्य कौशल विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित सेक्टरों में प्रशिक्षण संचालन/क्रियान्वयन के लिए “रुचि की अभिव्यक्ति” के माध्यम से ट्रेनिंग पार्टनर/प्रशिक्षण प्रदाता चयन किये जा रहे हेतु पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र.	सेक्टर का नाम	रिमारक
1	Tourism and Hospitality	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा
2	Retail	
3	Construction	
4	Apparel Made-Ups and Home Furnishing	
5	Plumbing	
6	Capital Goods	
7	Power	

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएं

1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो अथवा न्यूनतम 3 वर्षों का संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण कार्य में अनुभव हो।

या

ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हों (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्षों पूर्व का होना आवश्यक है।)

या

छ.ग. शासन/भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो या करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव हो।

2. संस्था/प्रतिष्ठान का रुचि की अभिव्यक्ति जारी तिथि से कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है विगत 03 वर्षों (2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) का इन्कम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. सरल क्र. 01, एवं 02 के अनुसार पंजीकृत फर्म जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है, एवं संबंधित कोर्स के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना रखता है।
4. एजेंसी/संस्था/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म आदि के पास PAN/TIN/GST/CST पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
5. संस्था के पास प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की क्षमता का होना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक संस्था का वार्षिक टर्नओवर 30,00,000.00 (अक्षरी :- तीस लाख रु. मात्र) या अधिक होना अनिवार्य है। इस हेतु विगत 03 लगातार वर्षों का सी.ए. द्वारा Approved वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।
7. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist न किया गया हो। (इस संबंध में संस्था द्वारा 100 रु. के स्टाम्प में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

सुरक्षा निधि

1. ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था द्वारा प्रति सेक्टर 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) की दर से सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ के पक्ष में देय होगी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित ट्रेनिंग पार्टनर को छोड़कर शेष संस्थाओं को सुरक्षा निधि हेतु प्रदाय बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जावेगा एवं चयनित ट्रेनिंग पार्टनर की अमानत राशि अनुबंध तिथि तक जमा रखा जावेगा। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
2. ट्रेनिंग पार्टनर नियुक्त होने के पश्चात् चयनित संस्था को छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाईडलाइन के परिशिष्ट अ की कण्डिका 13 अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व 50,000.00 (रु. पचास हजार मात्र) की बैंक गारंटी रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ के नाम से जमा करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. संस्थायें प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। यदि एक लिफाफे में ही एक से अधिक सेक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे उपर लिखे हुये सेक्टर के लिये आवेदन मान्य किया जावेगा। लेकिन आवेदन पत्र का परिशिष्ट अ एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
2. संस्था प्रत्येक सेक्टर के लिए आवेदन प्रपत्र शुल्क की राशि रुपये 1000.00 (रु. एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिफंडेबल है जो कि रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ के नाम से देय होगा, आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन प्रपत्र शासकीय वेबसाईट raigarh.gov.in, cssda.cg.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।
3. पहले लिफाफा में आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट "अ" "ब" तथा समस्त दस्तावेज एवं दूसरे लिफाफा में निर्धारित प्रतिभूति राशि/सुरक्षा निधि डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) अलग-अलग लिफाफा में भर कर, दोनो लिफाफा को एक साथ बड़े लिफाफा में भर कर बंद लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. आवेदित सेक्टर अंतर्गत पूर्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने के अनुभव हेतु परिशिष्ट -अ (I) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदित सेक्टर अंतर्गत पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की जानकारी परिशिष्ट -अ (II) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदित सेक्टर अंतर्गत पूर्व में हितग्राहियों की नियोजन हेतु रोजगार/स्वरोजगार स्थिति की जानकारी परिशिष्ट -अ (III) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदित संस्थाओं द्वारा आवेदित सेक्टर में प्रशिक्षित हितग्राहियों के शत प्रतिशत नियोजन हेतु Tie up किये गये कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी परिशिष्ट - अ (IV) के आधार हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित जो उक्त अवधि हेतु मान्य हो, जिसकी प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. आवेदित संस्थाओं द्वारा आवेदित सेक्टर में प्रशिक्षित हितग्राहियों के ऑनजॉब ट्रेनिंग हेतु Tie up किये गए कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी परिशिष्ट -अ (V) के आधार पर हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित जो उक्त अवधि हेतु मान्य हो, जिसकी प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
9. आवेदित सेक्टर के प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षको तथा साफ्ट स्किल प्रशिक्षक की जानकारी एवं प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन की जानकारी हेतु परिशिष्ट -ब की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रत्येक संबंधित दस्तावेज पोर्टल या सत्यापित होना अनिवार्य है अन्यथा दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
11. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि/समय तक कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, केआईटी कॉलेज के पास, गढ़उमरिया, उड़िसा रोड रायगढ़ (छ.ग.) पिन कोड-496001 में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।
13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13.09.2022 समय शाम 5:00 बजे तक एवं आवेदन पत्र को गठित समिति के समक्ष खोलने की तिथि 14.09.2022 समय अपराह्न 3:00 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ में खोला जाएगा।
14. आवेदन करने से पूर्व http://cssda.cg.nic.in/Global/New_VTP_Gaudline.pdf पर उपलब्ध नवीन गाईडलाईन्स का अध्ययन कर लें।

Abhishek

g

g

re

re

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु गठित समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. ट्रेनिंग पार्टनर का चयन Score matrix में वर्णित मापदण्डों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया जावेगा।
3. समस्त संस्था को Score matrix में वर्णित मापदण्डों अनुसार आवेदित कोर्स अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन पर 10 अंक निर्धारित है। समस्त संस्था को आवेदन पत्र खोलने के समय या प्रेजेन्टेशन हेतु निर्धारित तिथि 14-09-2022 को प्रेजेन्टेशन की हार्ड/सॉफ्ट पेन ड्राई में स्वयं संस्थापक या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अपने साथ लेकर उपस्थित होंगे।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु Score Matrix

क्र	विवरण दन	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	वांछनीय दस्तावेज
01	आवेदित सेक्टर अंतर्गत संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	03 वर्ष तक = 5 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष तक = 8 05 वर्ष से अधिक = 10	10	शासन द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति
02	आवेदित सेक्टर अंतर्गत पूर्व में प्रमाणितकृत प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	30 से कम = 0 30-49 = 1 50-100 = 3 101-250 = 6 250+ = 10	10	पोर्टल के प्रमाणित दस्तावेज की प्रति
03	आवेदित सेक्टर अंतर्गत पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति में (% में)	20%-40% = 3 41%-60% = 5 61%-80% = 8 80%+ = 10	10	सेक्टरवार-कोर्सवार/योजनवार तथा वित्तीय वर्षवार नियोजित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी
04	आवेदित सेक्टर में रोजगार हेतु Industrial linkage/ कंपनी से टाई-अप	5 से कम = 0 5-10 = 3 11-20 = 5 21-30 = 10 31-40 = 15 40+ = 20	20	Attach company wise list in participating sectors on Employers Letter head, MOU/any legal document regarding tie up with companies
05	आवेदित सेक्टर में उपलब्ध ट्रेनर	ToT ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा = 15 पात्र ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा = 5 Soft Skill ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा = 5	20	Trainer bio data Educational certificate & ToT certificate/ नियुक्ति पत्र
06	आवेदित सेक्टर में ऑनजॉब ट्रेनिंग हेतु Industrial linkage/ कंपनी से टाई-अप	5 से कम = 0 5-10 = 3 11-30 = 5 30+ = 10	10	Attach OJT Tie-up document
07	संस्था का टर्नओवर	30-50 lacs = 3 50-70 lacs = 6 70-100 lacs = 8 100 lacs+ = 10	10	विगत 03 लगातार वर्षों का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें CA द्वारा Approved
08	प्रशिक्षण की कार्ययोजना	प्रेजेन्टेशन	10	PPT प्रेजेन्टेशन
कुल अंक			100	

शुल्क का भुगतान एवं शर्तें

1. प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण— मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत जारी गाईड लाईन अनुसार निर्धारित दर/राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित दर अथवा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी के पंजीयन दौरान प्रदर्शित दर (दोनों में जो कम हो) एवं अन्य कौशल विकास योजना में निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जावेगा।
2. प्रशिक्षण राशि का विभाजन :- छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर दिनांक 28.01.2021 द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु जारी निर्देशानुसार :-

	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता—लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था—ट्रेनिंग पार्टनर		(A) भवन एवं लैब सेटअप—लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था—ट्रेनिंग पार्टनर	
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85		

उपरोक्तानुसार निर्धारण के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए सभी बाध्य होंगे।

3. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले समस्त प्रशिक्षण बैचों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुसार किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण राशि का भुगतान राज्य कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन गाईडलाईन के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा-निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देश यथावत रहेगा।
5. **मुल्यांकन शुल्क का भुगतान :-** MMKVY योजनांतर्गत ABN Fee का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा जो प्रशिक्षण Claim के साथ दिया जावेगा एवं PMKVY योजनांतर्गत Assessment & Certification Fee का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ द्वारा किया जावेगा।
6. संस्थायें अभ्यर्थियों के नियोजन हेतु भी जवाबदेही होंगी। इस हेतु http://cssda.cg.nic.in/Global/New_VTP_Guideline.pdf पर उपलब्ध नवीन गाईडलाईन्स के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा।

सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 10-30/2019/कौ.वि./42/दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था को कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायगढ़ से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो तीन प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी सत्र हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
3. संस्था के पास संबंधित सेक्टर में Industrial Linkage होना आवश्यक है। जो प्रशिक्षण संचालन अवधि के दौरान ही Market Supply and demand based Training संचालित कराया जाना होगा।
4. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) या जिले अथवा राज्य कार्यालय द्वारा किसी अन्य योजना के संचालन हेतु तय मानकों के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायगढ़ के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन चयनित संस्था को प्रशिक्षण कार्य देने हेतु बाध्य नहीं होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform, ID card, सुरक्षा सामग्री (यदि आवश्यकता हो तो), पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा, चाहे लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर अथवा लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया गया हो।
 6. ट्रेनिंग पार्टनर को अनिवार्य रूप से नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को On the Job प्रशिक्षण देना होगा।
 7. संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायगढ़ प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
 8. संस्था के पास सेक्टर/व्यवसायानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक TOT Cerified , सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण हेतु योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उंपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
 9. चयनित संस्थाओं को चयनित सेक्टर अंतर्गत संचालित कोर्स में एक माह के भीतर राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार प्रशिक्षकों का TOT एवं लैब सेटअप करना आवश्यक होगा।
 10. सभी ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग पार्टनर का स्वयं का होना अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर फ्रेंचायजी की अनुमति नहीं होगी।
 11. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर, छत्तीसगढ़ तथा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ द्वारा समय-समय पर अनुशासित प्रारूपों में प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी, ट्रेनिंग मेथोडोलाजी, प्रशिक्षकों का विवरण, स्टॉक व सामग्री पंजी आदि से संबंधित प्रगति एवं अभिलेख साफ्ट व हार्ड कापी में तैयार करना तथा इसे रिकार्ड में रखना एवं आवश्यकतानुसार लाईवलीहुड कॉलेज, रायगढ़ को उपलब्ध कराना होगा।
 12. अभ्यर्थियों के काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण हेतु चयन में सक्रिय सहभागिता प्रदान करना, लाईवलीहुड कॉलेज; रायगढ़ द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग की व्यवस्था करना।
 13. सेक्टर/व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 14. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व एवं इस हेतु संस्था को कॉलेज में अनुबंध अवधि तक के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
 15. चयनित संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार नियोजन से संबंधित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा, जिसमें समय-सीमा का विशेष ध्यान देवे।
 16. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन एवं प्रशिक्षण उपरांत नियोजन तथा हितग्राहियों के नियोजन पश्चात् 3 माह तक नियोजन ट्रेकिंग की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
 17. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं है तो अनुबंध समाप्त कर जमा सुरक्षा निधि तथा बैंक गारंटी को राजसात कर ली जावेगी।
 18. चयनित संस्था के द्वारा नियुक्त किये गए प्रशिक्षकों का मानदेय समय-समय पर राज्य कार्यालय के दिशानिर्देशानुसार देय होगा। यदि प्रशिक्षकों के मानदेय के संबंध में कोई भी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को प्राप्त होता है तो उसकी निराकरण की संपूर्ण जवाबदेय संस्था/ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
 19. आवासीय प्रशिक्षण का निर्धारण कॉलेज प्रबंधन के द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अगर चयनित संस्था द्वारा स्वेच्छा से आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के रुकने हेतु आवास सुविधा एवं भोजन की व्यवस्था (चाय नास्ता दोपहर एवं रात्रि का भोजन) की जिम्मेदारी संस्था/ट्रेनिंग पार्टनर की होगी। इसके लिए पृथक से राशि देय नहीं होगी।

Shanesh

7

20. वर्तमान में कॉलेज प्रबंधन द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है। यदि चयनित संस्था के द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों को कॉलेज तक लाने व ले जाने की व्यवस्था यदि की जाती है तो उसके भुगतान संबंधित जिम्मेदारी संस्था/ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
21. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
22. प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।
23. संस्था के पास छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अनुभव (MMKVY / PMKVY अथवा अन्य कौशल विकास योजना के अंतर्गत जारी कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा) तथा कुशल अनुभवी प्रशिक्षक का TOT Certified होना अनिवार्य है।
24. प्रयोगशाला/क्लास रूम प्रशिक्षण के आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के अतिरिक्त On the Job प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं सुविधा एवं संस्था द्वारा हितग्राहियों को मल्टी skills करवाने का प्रबंध।
25. छ.ग. शासन एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (SPLC) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना।
26. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु उपरोक्त शर्तों, अर्हताएं, आवेदन एवं चयन प्रक्रियाओं में शिथिल करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित है।
27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा निरस्त करने/लोकहित में उपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ के पास सुरक्षित है।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
सोसायटी, रायगढ़ (छ.ग.)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़, के लिए
ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदित सेक्टर का नाम ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु।

1. संस्था/प्रशिक्षण प्रदाता (VTP/उद्योग का नाम
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फैक्स एवं ईमेल सहित)
2. संस्था/प्रशिक्षण प्रदाता (VTP/उद्योग का
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था/उद्योग किन-किन सेक्टरों/व्यवसायों में
प्रशिक्षण के लिये पंजीकृत है, कृपया उल्लेख करें।
(नवीन गार्ड लाईन पंजीयन अनुरूप)
5. आवेदित सेक्टर/कोर्स के लिये प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव
संसाधन के व्यवसायवार सूची, बायोडाटा एवं नियुक्ती पत्र
संलग्न करें
6. NSQF अनुसार सेक्टर/कोर्स में उपलब्ध उपकरणों
सूची संलग्न करें (परिशिष्ट अ(I) अनुसार)
7. विभिन्न व्यवसायों में संस्था का प्रशिक्षण
(परिशिष्ट अ (I) अनुसार)
8. पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या
(परिशिष्ट अ (II) अनुसार)



9. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार/स्वरोजगार
की जानकारी (परिशिष्ट अ (III) अनुसार)
10. आवेदित सेक्टर/कोर्स में हितग्राहियों के नियोजन हेतु
टाई अप कंपनियों का विवरण (परिशिष्ट अ (IV) अनुसार)
11. आवेदित सेक्टर/कोर्स में OJT हेतु टाई अप कंपनियों का
विवरण (परिशिष्ट अ (V) अनुसार)
12. संस्था का ऑडिट प्रतिवेदन (विगत 03 लगातार वर्षों का)
13. संस्था का TAN/PAN/GSTn प्रमाणित प्रति संलग्न करें
14. संस्था का विगत 03 वर्षों (2019-20, 2020-21 एवं
2021-22) का आयकर विवरण की प्रति संलग्न करें
15. आवेदन प्रपत्र शुल्क की राशि - डी.डी. क्रमांक दिनांक बैंक का नाम
16. सुरक्षा निधि की राशि - डी.डी. क्रमांक दिनांक बैंक का नाम
17. अन्य विवरण

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टीप :-आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापितकर संलग्न करें।

घोषणापत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य हैं। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगी।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

Abneel



आवेदित सेक्टर अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य में नियोजित प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता	सेक्टर	जॉबरोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव	SSC TOT सर्टिफिकेट (हां/नहीं)	SSC TOT सर्टिफिकेट की मान्यता तिथि	ट्रेनर टीआर आईडी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

क्र	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क

नोट -1. कृपया आवेदन के पूर्व प्रशिक्षकों की योग्यता को NSQF कोर्स के आधार पर अवश्य जांच लेवे।

2. प्रमाणिकृत प्रशिक्षक के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं नियुक्ति संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

(Handwritten signatures in blue and green ink)